पी0सी0पीएन0डी0टी0 अधिनियम,1994 के अन्तर्गत संचालित पोर्टल www.pyaribitiya.in के होमपेज पर इकाईयों के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु उपलब्ध कराये गये लिंको के माध्यम से सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण।

पी0सी0पीएन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत संचालित पोर्टल www.pyaribitiya.in के माध्यम से इकाईयों के पंजीयन एवं नवीनीकरण हेतु वेबसाइट के होमपेज पर 12 लिंक उपलब्ध कराये गये है।

इकाईयों के संचालकों/प्रतिनिधियों द्वारा निम्नलिखित लिंको का प्रयोग कर इकाईयों के पंजीयन एवं नवीनीकरण कार्य सम्पादित किया जा सकता है। वेबसाईट के होमपेज पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से सम्पन्न होने वाले कार्यो का विवरण निम्नवत है:–

1. **Apply New Application:**

इस लिंक का प्रयोग कर आवेदनकर्ता इकाई के पंजीयन हेतु नया आवेदन कर सकते हैं।

2. **Updation in Application:**

इस लिंक का प्रयोग कर आवेदनकर्ता इकाईयों की पंजीयन प्रक्रिया के दौरान किये गये आवेदनों में किसी प्रकार का आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते हैं।

3. **Apply for Rejected Application:**

यदि किये गये नये आवेदनों के परिणामस्वरूप समुचित प्राधिकारी द्वारा आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, तो बताये गये कारण का आवेदक द्वारा निराकरण कर 90 दिन के भीतर अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

4. **Rejected Application Renewal:**

यदि नवीनीकरण हेतु किये गये आवेदनों के परिणामस्वरूप समुचित प्राधिकारी द्वारा आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है, तो बताये गये कारण का आवेदक द्वारा निराकरण कर 90 दिन के भीतर अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

5. **Application Renewal:**

05 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के 30 दिन के पूर्व इस लिंक का प्रयोग कर आवेदनकर्ता अपनी इकाई के नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

6. Status of Application:

इस लिंक के माध्यम से आवेदनकर्ता किये गये आवेदनों के सापेक्ष जनपद स्तर पर की गयी कार्यवाही की स्थिति की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त कर सकते हैं।

7. Download Certificate:

इस लिंक का प्रयोग कर आवेदनकर्ता/इकाई संचालक पंजीयन/नवीनीकरण प्रमाण पत्र (पंजीकरण/नवीनीकरण उपरान्त) की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

8. Check Center Validity:

इस लिंक का प्रयोग कर किसी इकाई की वैधता अवधि की जानकारी ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है।

9. Register Complaint:

इस लिंक का प्रयोग कर किसी भी व्यक्ति द्वारा ऑनलाईन शिकायत दर्ज करायी जा सकती है। जिसमे शिकायतकर्ता को एक डोकेट न0 भी निर्गत किया जाता है।

10. Status of Complaint:

इस लिंक का प्रयोग कर शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायतों की स्थिति के सम्बन्ध में ऑनलाईन जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

11. Center Information Modification:

इस लिंक का प्रयोग कर इकाई संचालकों द्वारा पी0सी0पी0एन0डी0टी0 नियमावली, 1996 के नियम 13 के अन्तर्गत चिकित्सकों के परिवर्तन/स्थान परिवर्तन/उपकरणों में परिवर्तन के सम्बन्ध में ऑनलाईन आवेदन/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

12. Change Doctor Status:

केन्द्रो हेतु अनुमन्य/अधिकृत चिकित्सकों द्वारा इकाई विशेष पर कार्य छोड़ दिये जाने की दशा में पोर्टल पर चिकित्सक की स्थिति अधुनान्त किये जाने के सम्बन्ध में ऑनलाईन प्रत्यावेदन समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

27/09/22

निदेशक
परिवार कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ